कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिसंबर , 2016 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. सुशासन दिवस अर्थात 14 दिसम्बर के अवसर पर माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा छह प्रमुख पहलें शुरू की गई। ये शुरू की गई पहलें इस प्रकार हैं :- भर्ती नियम निर्माण, संशोधन निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस), संपति संबंधी जानकारी प्रणाली के माध्यम से अचल संपति विवरणी (पीआरआईएसएम), ई-सेवा पुस्तिका की घोषणा, सभी अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय समूह क सेवा अधिकारियों द्वारा एपीएआर का अनिवार्य रूप से ऑनलाइन तरीके से भरा जाना, आई फोन ऑपरेटिंग सिस्टम (आईओएस) पर ईओ ऐप और डीओपीटी की वेबसाइट को पुन: तैयार करने के कार्य की शुरूआत।

2. माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) की अध्यक्षता में सीएसओआई, नई दिल्ली में 21 दिसम्बर, 2016 को इस विभाग द्वारा एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का लक्ष्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति प्रतिभागियों की जागरूकता और ज्ञान को बढ़ाना था। माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) तथा नवगठित हिन्दी सलाहकार समिति के नामित नए सदस्यों द्वारा कार्याशाला में सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया गया।

3. दिनांक 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2016 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। बेर सराय मार्केट में और इसके आसपास के क्षेत्रों में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से एक विशेष स्वच्छता अभियान प्रारंभ करके माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) द्वारा इस पखवाडे का उद्घाटन किया गया। 'स्वच्छ भारत' विषय पर पोस्टर/स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें इस विभाग के कार्मिकों और अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

4. कार्ड, अव्यवस्थित पूरक सेवा डेटा (यूएसएसबी) अथवा मोबाइल फोन नेटवर्क पर भुगतान, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, एकीकृत भुगतान इंटारफेस, (यूपीआई) और विक्रय बिन्दु अथवा कार्ड स्वाइपिंग मशीनों के जरिए भुगतान जैसे डिजिटल भुगतान तरीकों का उपयोग करने /अपनाने के

लिए इस विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों को सक्षम बनाने हेतु नीति आयोग द्वारा दिनांक 01.12.2016 और 15.12.2016 को क्रमश: दो प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया।

5. डीओपीटी ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अर्द्ध शासकीय पत्र सं 33/2017-ईओ(एमएम.II) के माध्यम से समूह क सेवा के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों, गृह मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वर्ष, 2017 के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना (सीएसएस) के अंतर्गत पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए समूह क सेवा के अधिकारियों से नामांकन आमंत्रित किये हैं। सभी राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय से वर्ष 2017 के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना (सीएसएस) के अंतर्गत पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए आईएएस अधिकारियों के नामांकन भी आमंत्रित किए गए हैं। (एजीएमयूटी संवर्ग के आईएएस अधिकारियों के संबंध में दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या सं 32/2017-ईओ(एमएम.II) के माध्यम से)

6. दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/3/2016-एफए(यूएन) के माध्यम से वर्ष, 2017 के लिए केंद्रीय स्थापना बोर्ड (सीईबी) का गठन किया गया है।

7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 01 दिसमब्र, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 407/16/2016-एवीडी-IV(एलपी) के माध्यम से यह सूचित किया है कि लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 के पारित हो जाने के पश्चात् लोक सेवक (परिसंपतियों की सूचना एवं वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना तथा देयताएं और विवरणी भरने में परिसंपतियों की छूट हेतु सीमा) नियमावली, 2014 और इसमें हुए सभी संशोधन प्रचलन में नहीं रह गए हैं। यह विभाग नई नियमावली को अंतिम रूप देने की दिशा में सक्रिय है। उक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म, परिसंपतियों और देयताओं की घोषणाओं को दाखिल करने हेतु तरीके और समय सीमा निर्धारित करने के लिए उक्त नियम निकट भविष्य में अधिसूचित किए जाएंगे। इसके पश्चात् सभी लोक सेवकों को नई नियमावली के नियमों द्वारा यथा विहित घोषणा दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

8. डिजिटल भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए डीओपीटी के तत्वावधान और नियंत्रण में कार्य करने वाले केंद्रीय सिविल सेवा संस्कृतिक एवं खेलकूद बोर्ड (सीसीएससीएसबी) ने 1 जनवरी, 2016 से सभी शुल्कों और प्रभारी को केवल डिजिटल माध्यम से स्वीकार करने का निर्णय लिया है। दिनांक 21 दिसमबर 2016 के नोटिस संख्या 170/1/2016-17/सीसीएससीएसबी के माध्यम से सभी संबंधित लोगों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिये गए हैं।

9. दिनांक 21.12.2016 को यूपीएससी, नई दिल्ली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से डीओपीटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और इस शिविर में 46 कर्मचारियों ने रक्तदान किया।

10. इस विभाग ने दिनांक 27.12.2016 के पत्र सं. 39020/01/2014-स्था.(बी) के माध्यम से वर्ष 2017 में आयोजित होने वाली सीएपीएफ में सिपाही (जीडी) और असम राइफल में (जीडी) की भर्ती के लिए गृह मंत्रालय और एसएससी द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए एसएससी को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रदान किया है और यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर एसएससी द्वारा आयोजित की जाएगी।

11. इस विभाग के दिनांक 19.12.2016 के पत्र सं. 39020/18/2016-स्था.(बी) के माध्यम से सीधी भर्ती (डीआर) रिक्तियों को भरने के लिए समय पर और अग्रिम रूप से कार्रवाई करने संबंधी मामले में दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

12. इस विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2016 की अधिसूचना सं. 39019/04/2016-स्था.(बी) के माध्यम से 4 जनवरी, 2017 के पूर्वाह्न से अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 316 (1क) के संबंध में प्रो. डेविड आर. सय्यैमलीह, सदस्य, यूपीएससी की नियुक्ति के संबंध में माननीय राष्ट्रपति का अनुमोदन संसूचित किया गया है।

13. दिनांक 27;12.2016 और 30.12.2016 की अधिसूचना के माध्यम से क्रमश: राजस्थान और मध्य प्रदेश के आईएएस संवर्ग की संवर्ग समीक्षा की गई।

14. केंद्रीय सचिवालय की शतरंज टीम ने अखिल भारतीय सिविल सेवा शतरंज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 26 से 31 दिसम्बर, 2016 के दौरान सिलवासा में आयोजित की गई थी।

15. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में आयोजित होने वाले सहायक अनुभाग अधिकारी के अनिवार्य आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 111 उम्मीदवारों को नामित किया गया है। यह कार्यक्रम 19.12.2016 को शुरू हुआ था।

16. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति 'एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची क और ख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में 01 सीएमडी/एमडी तथा 02 कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, एसीसी द्वारा विभिन्न न्यायाधिकारणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की नौ (09)

नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों में मुख्य कार्यकारी की दो (02) नियुक्तियों, मंत्री के निजी सचिव की नियुक्ति के दो (02) प्रस्तावों और मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति एक (01) प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

17. दिनांक 06.12.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/12/2016-स्था.(क)-।।। के माध्यम से सरकारी सेवक की पदोन्नति पर चेतावनी और निन्दा आदि के प्रभाव के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया।

18. सेवा मामलों के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विरूद्ध न्यायालय के अदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को पुन: डीओपीडी के निदेशों का कडा़ई से पालन करने का अनुरोध किया गया है।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम करने संबंधी दिशानिर्देशों को जारी किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया गया सके कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलें में जांच शीघ्र से शीघ्र की जाए और पीड़ित महिला शोषण का शिकार न बने।